



इनका छात्र संघ चुनावों के लिए...

दैनिक भारोसा मित्र



पूर्व शिक्षा मंत्री ने चंडीगढ़ में उच्च.....

ना इधर की ना उधर की बात सिर्फ भरोसे की

■ वर्ष:1 ■ अंक: 33 ■ मूल्य: 3 ■ पृष्ठ: 08 ■ प्रधान संपादक: सुमित सैनी ■ गुरुग्राम ■ गुरुवार ■ 12 अक्टूबर 2023 ■ Title Code : HARBIL019117

न्यूज डायरी

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां के बेटे को नहीं दी अंतरिम राहत

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के बेटे को अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। विरोध प्रदर्शन मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम ने याचिका में मांग की थी कि उत्तर प्रदेश की निचली अदालत को आदेश दिया जाए कि वह उनके नाबालिग होने के दावे की पुष्टि होने तक उनके खिलाफ कोई फैसला न सुनाए। बता दें कि कोर्ट ने 26 सितंबर को मुरादाबाद के जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया था कि वह किशोर न्याय अधिनियम के तहत मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां के नाबालिग होने के पहलू पर फैसला करें और निर्णय को आगे के विचार के लिए उसके पास भेजें।

नशा मुक्ति केंद्र से भागे तीन युवक नहर में कूड़े, मौत

अंबाला। गांव मटहरेड़ी में बाला जी फाउंडेशन के नाम से चल रहे अवैध नशा मुक्ति केंद्र से स्वास्थ्य विभाग और पुलिस-प्रशासन की टीम ने 32 लोगों को रेस्क्यू किया है। इनमें से 24 पंजाब के थे। केंद्र में तरह-तरह की यानतों में आहत हुए 5 युवक फरार हो गए थे। इनमें से तीन की पटियाला नहर में डूबने से मौत हो गई।

पटियाला के कोतवाल थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम करवाया। इनमें से दो की शिनाख्त धीरू नगर (पटियाला) के साहिल उर्फ भोलू और गोपी के रूप में हुई है। तीसरे की पहचान की जा रही है।

बताया गया कि साहिल पिछले 20 दिन से नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती था। उनके इलाके का रहने वाले गोपी का पिछले दो माह से यहाँ इलाज चल रहा था। गोपी अपने नाना के घर धीरू नगर में रहता था। साहिल के चाचा एस मट्ट उर्फ मूछ प्रधान ने बताया कि उसके भतीजे साहिल को नशे की लत थी। इलाज कराने के लिए 20 दिन पहले ही अंबाला के नशा मुक्ति केंद्र में भेजा गया था।

पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में मारा गया

इस्लामाबाद, एजेंसी। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ को पाकिस्तान में गोली मार दी गई। बताया गया अज्ञात हमलावरों ने प्रांत पंजाब के शहर सियालकोट की एक मस्जिद में उसे गोली मार दी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

गौरतलब है कि लतीफ के जन्म-कहमीर के कई आतंकीयों से संबंधी हैं। उसने इस प्रदेश में आतंकवादियों संगठनों के साथ मिलकर कई हमलों को अंजाम दिया था। वह लतीफ जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर बताया जाता था। गतिदो जनवरी, 2016 को जैश के आतंकीयों ने पठानकोट में एयरबेस पर हमला कर दिया था। इसमें सात जवान शहीद हो गए थे।

सूत्रों के अनुसार शाहिद लतीफ आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एक प्रमुख सदस्य था। उसने ही चारों आतंकवादियों को पठानकोट भेजा था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआई) की जांच में पाया गया था कि हमले को अंजाम देने के लिए भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों के मास्टरमाइंड और आका सभी पाकिस्तान में स्थित थे। वहीं, लतीफ पर उन आतंकीयों में भी शामिल होने का आरोप है, जिन्होंने 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान को अगवा किया था।

हरियाणा सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट जारी

चंडीगढ़। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने हरियाणा सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार इसमें 61 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। रिजल्ट के अनुसार सामान्य वर्ग से 44, एससी वर्ग से 6, बीएसए वर्ग से 3, बीबीबी वर्ग से 1, इंडियन-6 और इंडियन वर्ग से एक उम्मीदवार हरियाणा सिविल सर्विस में चुने हैं।

बाबा बालकनाथ को इस बार सांसद से विधायक बनाया जाएगा

यूपी में आदित्यनाथ, राजस्थान में होंगे बालकनाथ : शाह

रोहतक में आयोजित कार्यक्रम में सांसदों ने बाबा बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की मांग रखी

भरोसा मित्र

रोहतक। यहां बाबा मस्तनाथ मठ में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलवर से भाजपा सांसद और मठ प्रमुख महंत बालकनाथ के बारे में कहा कि बाबा को सांसद से अब विधायक बनाया जाएगा। इस पर पंडाल में मौजूद लोगों ने बाबा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल हुए। अमित शाह ने राजस्थान में बाबा बालकनाथ की बड़ी भूमिका की ओर इशारा किया।

था। पत्र मिलते ही वह उनसे मिलने पहुंचे। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने खेलों में तख्ती की है। खेलों इंडिया जैसी नीतियों से ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाओं को निखारा गया है। यह धार्मिक आयोजन महंत बाबा बालकनाथ की अध्यक्षता में किया गया। गौरतलब है कि बाबा मस्तनाथ मठ में ससम महंत पीर चान्दाना योगी के आठमास भंडारे, शंखदल, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं देशभले का आयोजन होना है। यहां बाबा मस्तनाथ की पुनर्निर्मित समाधि (मंदिर) पर मंगलवार को कलश स्थापना की गई है। इसमें आठ गांवों की करीब 3000 महिलाएं अपने सिर पर कलश धारण कर समाधि स्थल पहुंची थी। आशा वंकर अमित शाह को ज्ञापन देना चाहती थीं, लेकिन उन्हें उन तक नहीं पहुंचने नहीं दिया गया।



नवीन जयहिंद को कार्यक्रम में नहीं जाने दिया

हरियाणा आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद को पुलिस ने रोहतक बाइपास पर रोक लिया। वह बाबा मस्तनाथ मठ की तरफ जा रहे थे। जयहिंद ने एक दिन पहले अमित शाह के कार्यक्रम में जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि शाह मंच से लोगों को बताएं कि एक्सप्रेस का पानी हरियाणा को कब मिलेगा। कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर केलाशा खेर ने भी अपनी प्रस्तुति दी। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल कार्यक्रम स्थल पर तैनात की गई है। बाबा मस्तनाथ मठ में भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा।

मोनु मानेसर को गुरुग्राम कोर्ट ने जेल भेजा

पटौदी फायरिंग केस में राइफल बरामद अगली पेशी 25 अक्टूबर को

भरोसा मित्र

गुरुग्राम : गुरुग्राम पुलिस की फरखनगर क्राइम ब्रांच ने बुधवार को मोनु मानेसर की रिमांड पूरी होने के बाद पटौदी कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान गुरुग्राम पुलिस ने रिमांड के दौरान बरामद हुए तमाम तथ्य कोर्ट में सामने पेश किए। इसके बाद कोर्ट ने मोनु मानेसर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भौंडसी जेल भेज दिया है। इसकी अगली पेशी 25 अक्टूबर को होगी। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माफिउसे पेश किया जाएगा।



मोनु के पास मिली बुलेट पूफ स्कॉर्पियो

कोर्ट ने पुलिस को मोनु से पृष्ठताछ के लिए चार दिन का रिमांड दिया था। इस दौरान पुलिस ने मोनु मानेसर की निशानदेही पर एक राइफल, 4 जिंदा कारतूस, 2 खाली खोल और 1 बुलेट पूफ गाड़ी (स्कॉर्पियो) बरामद की है। पुलिस जांच में पता चला कि हत्या की कोशिश की वारदात के 20 दिन बाद उसने यह हलाल गन हाउस में जमा करवा दी थी। हालांकि पुलिस जांच के लिए मोनु को उत्तर प्रदेश में कानपुर भी लेकर गई थी।

एनआई टीमों के पीएफआई के खिलाफ दिल्ली व यूपी समेत कई राज्यों में छापे

हिंसक और गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त है यह संगठन, कई लोगों को हिरासत में लिया गया

नई दिल्ली, एजेंसी

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआई) ने दिल्ली, राजस्थान व महाराष्ट्र में कई स्थानों पर छापेमारी करके तलाशी अभियान चलाया। एनआई की यह कार्रवाई प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) संगठन के खिलाफ की जा रही है।



हिरासत में लिए कई लोग

दिल्ली के थाना हौज काजी इलाके के बड़ी मयान, राजस्थान के टोंक समेत कई ठिकाने, तमिलनाडु के मदुरै, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, लखनऊ, बहराइच, सीतापुर और हरदोई में छापेमारी कर तलाशी अभियान चलाया है। लखनऊ के मदेगंज के बड़ी पकरिया इलाके में एजेंसी ने छापेमारी की। वहीं एनआई ने मुंबई, टाणे, नवी मुंबई और महाराष्ट्र के कई जिलों में लगभग पांच स्थानों पर छापेमारी की है। एनआई की टीम ने अब्दुल वाहिद शेख के विक्रोली स्थित आवास के अलावा भिवंडी, मुंबा और महाराष्ट्र के कई अन्य जिलों में भी तलाशी ली है। सूत्रों ने बताया कि एनआई ने पीएफआई के लिए सखिंध अभियानों और धन उगाही गतिविधियों में शामिल होने के संदेह के कारण अलग-अलग जगहों से लगभग 7 से 10 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है।

22 जुलाई को एनआई द्वारा फिर से दर्ज किया गया था।

खड़े ट्रक से टकराई बेकाबू कार, छह युवकों की मौत



भरोसा मित्र

बिधानी। मंगलवार देर रात 11 बजे कार और ट्रक से भरे ट्रक की टकरा में 5 दोस्तों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा भिवानी-बहल रोड पर गांव सेरला के पास हुआ। मरने वाले 5 दोस्त बलेनो कार में सवार थे। हादसे में मरने वाला छठ व्यक्ति ट्रक का क्लीनर बताया जाता है। बहल पुलिस ने शवों को चौधरी बंसीलाल नारारिक अस्पताल में भेजा। कुछ युवकों के पास कागजात के आधार पर पुलिस ने पता किया कि वे कहाँ के रहने वाले थे। इन दोस्तों में लाडियावाली गांव का प्रदीप, गांव इंदौवाली का रवि नारनौद का जितेंद्र व बुडेड़ गांव का विकास व नसीब शामिल हैं। ट्रक का

कलीनर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। नारारिक अस्पताल पहुंचे लाडियावाली गांव के सरफ जितेंद्र व टेकेंदार सुखबीर ने बताया कि बलेनो कार में युवक अपने दोस्त से बहल मिलने जा रहे थे। इस बीच रास्ते में खड़े ट्रक से उनकी कार टकरा गई। मौके पर ही चार युवकों की मौत हो गई, जबकि दो ने अस्पताल ले जाते वक दम तोड़ा। सभी की उम्र करीब 22 से 30 साल बताई गई। पुलिस ने बताया कि कहां का कार इस कदर बेकाबू होकर टकराई कि ट्रक के पीछे फंस गई। कार में फंसे युवकों को निकालने में काफी मशकत कानी पड़ी। वहां से दो घायल अस्पताल लाए लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

राजनीति

चार उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा पर कांग्रेस में विवाद

4 डिप्टी सीएम बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं : सैलजा

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इसके बारे में अंतिम फैसला हाईकमान करेगा

शशिभूषण सैनी, भरोसा मित्र।

चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा कांग्रेस की सरकार आने पर चार उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा पर कांग्रेस में विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस महासचिव एवं छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी सैलजा ने बुधवार को नई दिल्ली में कहा कि आज के दिन इस तरह के मुद्दों पर बात करने का समय नहीं है। मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री कोन बनना, यह फैसला करना हाईकमान का काम है। उन्होंने कहा कि 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तब मैं हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष थी। उस समय कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात नहीं थी कि कांग्रेस की सरकार बनने



पर चार उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाल ही में कहा है कि दलित, सामान्य, ब्राह्मण और ओबीसी वर्ग से कांग्रेस में चार उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और ऐसी घोषणा 2019 के विधानसभा चुनाव में भी की गई थी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपने पिता के दावे पर मुहर लगाई थी। कुमारी

सैलजा के साथ-साथ उनके समर्थक असंध के विधायक शमशेर सिंह गोपी ने भी हुड्डा के दावे पर सवाल उठाए हैं। गोपी ने कहा कि पार्टी से ऊपर कोई नेता नहीं होता है। सभी नेता पार्टी से ही हैं। कांग्रेस में हाईकमान फैसला लेता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन उप मुख्यमंत्री होगा या नहीं होगा। नई दिल्ली में कुमारी सैलजा ने हुड्डा के

भाजपा ने कसा तंज

हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि अब हुड्डा को ब्राह्मण याद आ रहे हैं, पिता-पुत्र को पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के ब्राह्मण प्रत्याशियों ने शिकस्त दी थी।

दावे को खारिज करते हुए स्वयं ही सवाल किया कि क्या आपने किसी राज्य में ऐसा सुना कि चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री घोषित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में कभी यह बात पार्टी की तरफ से नहीं कही गई और ना ही चुनाव घोषणा पत्र में शामिल थी। आज के दिन भी हुड्डा को किसने और कैसे यह कहने के लिए अधिकृत किया है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। सैलजा ने हैरानी जताते हुए कहा कि हमें नहीं पता यह फैसले कब हुए हैं। हरियाणा 36 विधानसभा का राज्य है। भाजपा की नीति जाट और गैर जाट की राजनीति करने की है। कांग्रेस सभी जाति और विरादियों से चलती

डीजीपी ने हाईकोर्ट में दिया हलफनामा

अब एफआईआर में नहीं होगा जाति-धर्म का जिक्र

हलफनामे में इसका कारण बताया है कि जब जातीय दंगे और धर्म के मामलों में एफआईआर दर्ज की जाती है तो उसमें धर्म और जाति का उल्लेख करना जरूरी हो जाता है

भरोसा मित्र

चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है कि आने वाले एफआईआर में जाति-धर्म का जिक्र नहीं कर पाएंगी। अगर कहीं भी जाति-धर्म का उल्लेख करना जरूरी हुआ तो उसका कारण



भी दिया जाएगा। शत्रुजीत कपूर ने हलफनामे में इसका कारण बताया है कि जब जातीय दंगे और धर्म के मामलों में एफआईआर दर्ज की जाती है तो उसमें धर्म और जाति का उल्लेख करना जरूरी हो जाता है।

नेशनल क्राइम ब्यूरो के सॉफ्टवेयर में सूचना को अपलोड करते हुए जाति और धर्म का कॉलम बाधा बन जाता है। अगर जाति धर्म को जानकारी न दिया जाए तो सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है। शेष सभी मामलों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एफआईआर में जाति धर्म का जिक्र न किया जाए। अंबाला निवासी महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी। केस को मध्यस्थता के लिए भेजते हुए हाईकोर्ट ने महिला को अग्रिम जमानत दे दी, लेकिन इस मामले में पुलिस की कार्रवाई के दौरान उसके धर्म का जिक्र किए जाने पर सवाल लिखा था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस डीजीपी को इस मामले में हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था।

